

खाकी रामदेवी झूठ बनाम एलोपैथी लूट है असल मसला

विकास नारायण राय

स्वयं को स्वामी कहलाने वाले रामदेव के अनुसार एलोपैथी बकवास है और देश में होने वाली लाखों कोरोना मौतों के लिए जिम्मेदार भी! उसकी माने तो कोरोना से लड़ाई एलोपैथी दवाओं और ऑक्सीजन से नहीं, उसकी पतंजलि नामक कंपनी के इम्प्रिन्टी फॉर्मूले और प्राणायाम के दम पर लड़ा जानी चाहिए। इस क्रम में वह पेशेवर चिकित्सा समुदाय और महामारी कानून को रोज तिरस्कारपूर्ण चुनौती दे रहा है। अब एलोपैथी डॉक्टरों के संगठन ने प्रधान मंत्री से रामदेव के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है।

यकीन जानिए, पुलिस को सबसे बुरा तब लगाना चाहिए और लगता भी है जब कोई डंके की चोट पर कानून व्यवस्था की खिलौं उड़ानी शुरू कर दे। लेकिन अगर सामने एक राजनीतिक रूप से बेहद समर्थ भगवा वस्त्रधारी हो तो? योग गुरु के रूप में मशहूर और आयुर्वेद को ढाल बनाकर धंधा जाने वाले व्यापारी रामदेव ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की आइएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) की मांग पर ललकारा दिया है कि किसी का बाप भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। इस बीच कोरोना लड़ाई के दुष्कर दूसरे दोर में एलोपैथी पद्धति में जान का जोखिम उठाकर कार्यरत लाखों डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मी उसके दुष्प्रचार के निशाने पर चल रहे हैं।

रामदेव एक निर्थक विवाद को जान-बूझकर खतरनाक रास्तों पर ले जा रहा है। वह इसे आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का रूप देना चाहता है, जबकि सभी जानते हैं कि उसकी रणनीति कोरोना सन्दर्भ में रामबाण दवा की तरह प्रचारित किये गए अपने उत्पाद 'कोरोनिल' की निर्बाध बिक्री और व्यापक महामारी मुनाफे में हिस्सेदारी को लेकर हैं। जड़ा-बूटियों की बात करने वाले छद्म-विज्ञानी रामदेव की पेशेवर हैसियत कहीं से भी आयुर्वेद के वैद्य पैरोकार होने की नहीं है लेकिन वह इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अरसे से स्वयंभू प्रवक्ता बना चैता है। ठीक उसी तरह जैसे पतंजलि का नाम लेकर आसन/व्यायाम सिखाते-सिखाते वह योग गुरु बन गया था।

पतंजलि कंपनी की कोरोनिल का प्रचार एक तथाकथित रिसर्च बेस्ट कोरोना दवा



'रामदेव का झूठ' सिक्के का एक पहलू भर है

के नाम पर किया जा रहा है। दवा है कि यह मरीजों पर ट्रायल से सिद्ध पायी गयी औषधि है। निरोधक, उपचारक और पोस्ट-केर में खरी यानी तीन आयामी। यहाँ तक कि इस रिसर्च का पूरा डेटा भी है। लेकिन तथ्य यह है कि किसी भी मानक राशीय या अंतराशीय संस्थान से इस रिसर्च को कोरोना इलाज के लिए वैलिडेट नहीं कराया गया है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन तो दूर रहा, किसी मान्य आयुर्वेदिक संस्थान से भी नहीं। यानी पतंजलि के तौर-तरीके विज्ञानी होने के द्विखावे के बावजूद उसकी कोरोनिल एक छद्म-विज्ञान की उपज ही कही जायेगी।

भारत का संविधान लोगों में वैज्ञानिक मिजाज लाने के लिए काम करने का निर्देश देता है। खालिस कानूनी नजरिये से भी रामदेव और पतंजलि 2006 के महामारी अधिनियम के प्रवधानों के घोर उल्लंघन के ही नहीं, पुराने समय से चले आ रहे मैनिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत भी दोषी हैं। और परखा जाए तो रामदेव को अदालत की अवमानना का भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों ने भी एलोपैथी उपचार उपतब्ध न होने और ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी के लिए केंद्र सहित तमाम राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो ऑक्सीजन के लिए तड़पती मौतों को जनसंहार तक कहा डाला। रामदेव का एलोपैथी पर अनर्गल हमला इस न्यायिक विवेक पर भी

हमला है।

लेकिन 'रामदेव का झूठ' सिक्के का एक पहलू भर हुआ। इसे बल देने वाला दूसरा पहलू भी कम चिंताजनक नहीं। और वह है 'एलोपैथी की लूट' का। देश की पुलिस यहाँ भी प्रभावी कदम नहीं ले सकी है। कोरोना इलाज के हर चरण पर सरकार ने अधिकातम कीपत तय की हुयी है लेकिन निजी अस्पतालों में धड़ल्ले से लाखों का बिल बसूला जा रहा है। यही नहीं हर जरूरी दवा, उपकरण, बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, मर्घट इत्यादि की जम कर कालाबाजारी हुयी है। ठीक है, महामारी में अमीर-गरीब सब शिकार बने हैं पर अपनी-अपनी पहुँच के हिसाब से इलाज की सुविधा का जुगाड़ करते हुए ही। इन आयामों पर रामदेव भी चुप है और आइएमए भी। दरअसल, आम आदमी के नजरिये से देखें तो बहस आयुर्वेद बनाम एलोपैथी न होकर 'रामदेवी झूठ' बनाम 'एलोपैथी लूट' होनी चाहिए।

रामदेव की सीनाजोरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि वह एक वोट बैंक को अपील करता है और इसलिए सत्ता के दावेदारों को उसे छेड़ने से पहले कई बार सोचना होगा। काफी पहले से ही भाजपा, कांग्रेस समेत कई पार्टीयों के मठाधीश उसे ढाल ही नहीं बढ़ावा भी देते आ रहे हैं। उसके वोट बैंक के लिए कोरोनिल, बेशक छलावा सही, मंगे अस्पतालों के आर्थिक बोझ की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक है। उसका छद्म-विज्ञान समाज के एक बड़े अन्यतिशासी तबके, जो वैक्सीन के बरक्स गौमूत्र पर अधिक विश्वास करना चाहता है, के लिए ग्राह्य हो जाता है। इस वोट बैंक की खातिर ही सत्ताधारी फिलहाल उसी तरह चुप है जैसे कभी बलाकारी राम रहीम और आसा राम के कारनामों पर रहता था।

क्या रामदेव एक व्यापक छड्यंत्र के तहत मोदी सरकार की कोरोना असफलता से ध्वन हटाने के लिए यह सब कर रहा है? इस बहस से स्वतंत्र भी मानना होगा कि कोरोना का वर्तमान काल कोई सामान्य समय नहीं है। दांव पर लाखों जान हैं। लिहाजा, देश में महामारी व्यवस्था की सफलता के लिए रामदेव के आयुर्वेदी झूठ से तुरंत निपटना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना एलोपैथी लूट से।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

अब लक्ष्मीप हुआ मोदी सरकार की तानाशाही का शिकार

तेजिन्दर सिंह

क्या किसी सरकार को ये निर्धारित करने का अधिकार है कि क्षेत्र विशेष की जनता क्या खाए, क्या नहीं?

क्या सरकार की स्थानीय नीतियां स्थानीय लोगों के विचारों/सुझावों के अनुसर नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को क्षेत्र विशेष के लिए नियम बनाने से पहले उसके लाभ हानि के पक्ष को लोगों से शेयर करते हुए एक खुली बहस नहीं करनी चाहिए?

लेकिन इन सभी बातों की उम्मीद आप इस केंद्र सरकार से नहीं कर सकते। इसके पूर्व के निर्णयों और लक्ष्मीप को लेकर उठाये गए वर्तमान के कदम सरकारी तानाशाही के गवाह हैं।

लक्ष्मीप को लेकर आप सभी समस्या तब से शुरू हुई जब 6 माह पूर्व प्रफुल्ल पटेल को लक्ष्मीप का एडमिनिस्ट्रेटर बना कर भेजा गया। प्रफुल्ल पूर्व में केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए स्वभाविक है कि उसी के निवेशनासार कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व इस पद पर केवल आई ए एस की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन ये सामान्य प्रथा से हटकर है। और स्वाभाविक है कि इसके पांछे कुछ निहितार्थ हैं।

1) सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मीप डेवलपमेंट अथर्विटी का गठन किया। और विकास के नाम अथर्विटी को टाउन प्लानिंग के बहाने ये अधिकार दिया कि वो किसी को भी उसकी जमीन से हटा या ट्रांसफर कर सकती है।

2) पूर्व में कोविड नियमों के तहत किसी को भी द्वीप में प्रवेश पर अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्रारंटाइन रहना पड़ता था। लेकिन प्रफुल्ल जी ने इसमें एक तरफ बदलाव कर इसमें 48 घंटे पहले का आर टी पी सी आर टेस्ट होने पर क्राउनिंग से छूट दे दी गयी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी वजह से अब वहाँ 6000 से अधिक कंस्ट्रक्शन हैं।

3) लक्ष्मीप में अपराध की दर बेहद कम रहने पर भी जनवरी में सरकार ने PASA, प्रिवेंशन ऑफ एन्टी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का लागू कर दिया। जिसके तहत किसी को भी सार्वजनिक तौर पर जनकारी दिए बगैंधे एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। संक्षेप में इसे 'गुंडा एक्ट' भी कहा जाता है।

4) डेवलपमेंट अथर्विटी के ड्राप्ट में बदला दिया गया है कि अथर्विटी के पास किसी को भी चल अचल संपति का अधिग्रहण, धारण और प्रबंधन की शक्ति है।

5) लक्ष्मीप एक 96 प्रतिशत मुस्तिम बहुल प्रदेश है लेकिन इसके बावजूद एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन 2021 के तहत गौमांस उत्पाद के वध, परिवहन, खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

6) मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण यहाँ शराब शुरू से ही प्रतिबंधित थी। लेकिन अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। और बाकायदा इसके लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं।

प्रफुल्ल पटेल जी पर दादर नागर हवेली के एक सांसद मोहन डेलकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगा है। मुतक डेलकर जी ने अपने आत्महत्या नोट में आरोप लगाया था कि उनसे 25 करोड़ मार्गे गए और नहीं देने पर पीएसए में फंसाने का डर दिखाया गया। आखिर केंद्र द्वारा एक आरोपित व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाने के क्या मायन हो सकते हैं? ये उनके द्वारा लाई गई नीतियों से समझा जा सकता है। जिन सब बातों की कभी स्थानीय लोगों ने मांग ही नहीं रखी, उनके लागू करने के पीछे छुपी उनकी म